CHHATTISGARH STATE POWER TRANSMISSION CO. LTD.
(A Govt. of Chhattisgarh Undertaking)
CIN - U40108CT2003SGC015820
Website- www.cspc.co.in, E-Mail- md.transco@cspc.co.in,
Phone- 0771-2574300, Fax- 0771-2262141

क्रमांक 01–01/CSPCHS/959 रायपुर, दिनांक 17.02.2026

for MD

प्रति,

कैशलेस योजना में इम्पेनलड समस्त अस्पताल

.....

.....

विषय– छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना (CSPCHS) के क्रियान्वयन हेतु समस्त हेल्थ केयर आर्गेनाईजेशन (जांच केन्द्रों/अस्पतालों) के लिये प्रोटोकाल–7.

संदर्भ– 1. इस कार्यालय द्वारा जारी प्रोटोकाल–1 क्र. 01–01/CSPCHS/5165 दिनांक 06.10.2023
2. इस कार्यालय द्वारा जारी प्रोटोकाल–2 क्र. 01–01/CSPCHS/1676 दिनांक 15.03.2024
3. इस कार्यालय द्वारा जारी प्रोटोकाल–3 क्र. 01–01/CSPCHS/5810 दिनांक 01.10.2024
4. इस कार्यालय द्वारा जारी प्रोटोकाल–4 क्र. 01–01/CSPCHS/6386 दि. 13.10.2025
5. पंचम संशोधन समेकित योजना परिपत्र क्र. 01–01/CSPCHS/6666 दिनांक 31.10.2025
6. षष्ठम संशोधन समेकित योजना परिपत्र क्र. 01–01/CSPCHS/6667 दिनांक 31.10.2025

छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी की कैशलेस योजना के तहत अस्पतालों के बिलों के भुगतान हेतु बिल जमा करने की दिनांक या आपत्तियों का समुचित जवाब देने की दिनांक जो बाद में हो, से 10 कार्य दिवस के भीतर किये जाने की व्यवस्था की गई है।

परंतु यह देखा जा रहा है कि अस्पतालों द्वारा आपत्तियों का निराकरण निर्धारित समय–सीमा में नहीं किया जाता, जिससे अस्पतालों को बिलों के भुगतान किये जाने में अनावश्यक विलंब होते रहता है। अतः आपत्तियों के निराकरण हेतु अस्पतालों से अपेक्षित है कि आपत्ति जारी करने की दिनांक से अधिकतम एक सप्ताह में आवश्यक दस्तावेज सामान्यतः ईमेल के माध्यम से प्रेषित करेंगे।

आपत्तियों का समुचित अपेक्षित निराकरण किसी भी स्थिति में आपत्ति जारी करने की दिनांक से अधिकतम दो सप्ताह में नहीं होने पर आपके बिल को भुगतान हेतु निरस्त किया जा सकता है तथा निरस्त होने के पश्चात् उस बिल के विरुद्ध भुगतान संबंधी कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।

यह प्रोटोकॉल, सूचीबद्धता के लिये पूर्व में किये गये अनुबंध का हिस्सा होगा और अनुबंध की संबंधित शर्तें, इस प्रोटोकॉल के अनुसार संशोधित हो जायेगी।

मुख्य अभियंता (मा.सं.)
छ.ग.स्टे.पा.ट्रां.कं.लि.